न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2021

प्रेम प्रकाश पोदार पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन पेशा व्यापार निवासी सी 43, अम्बाबाड़ी, जयपुर, हाल निवासी गुढ़ा गौड़जी, जिला झुन्झुनूं।

– प्रार्थी

–बनाम–

1. कमल कुमार पुत्र सज्जन कुमार जाति महाजन निवासी गुढागोड़जी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी।

– रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना –पत्र वास्ते मंसुख करवाने तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश संख्या राजस्व 2020/842 दिनांक 04.05.2020 के द्वारा ग्राम टोडी में खसरा नंबर 711 रकबा 0.2221 हैक्टर में से 18.58 वर्गमीटर कमल कुमार अप्रार्थी नंबर 1 के नाम वाणिज्य उदेश्य से <u>बनायी हुयी दुकान जो प्रार्थी पोदार काम्पलेक्स का ही हिस्सा है को आबंटित कर दिया।</u>

उपस्थितिः–

1 श्री विद्याधर जाखड़ , एडवोकेट ––––– –––प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––अप्रार्थी नंबर 1 की ओर से।
3. श्री मदनसिंह गिल, एडवाकेट –––– अप्रार्थी नंबर 2

–निर्णय– दिनांक 09.5.2022

उक्त प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश संख्या राजस्व/2020/842 दिनांक 4.5.2020 ग्राम टोडी खसरा नंबर 711 रकबा 0.2221 हैक्टर में से 18.58 वर्गमीटर जो अप्रार्थी नंबर 1 कमल कुमार के नाम वाणिज्य उद्देश्य से आवंटित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

की गई है, को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि –अप्रार्थी नंबर–1 कमल कुमार व उसके पिता सज्जन कुमार ने मु0 नं0 51/2002 एम.जे.एम. उदयपुरवाटी में किया था कि सज्जन कुमार ने प्रतिवादी संख्या 1 जोरावर सिंह से दिनांक 1.1.1989 को वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित चतुर्थ सीमा की दुकान जो ग्राम टोडी में स्थित है, 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से आजीवन किराये पर थी तथा दुकान से प्रिमियम पचास हजार रूपये प्रतिवादी संख्या 1 को अदा किये गये थे। वादीगण के अनुसार उक्त दुकान 300/–रूपये किराये पर वादी संख्या 1 ने इस शर्त पर ली थी कि प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी विवादित दुकान को खाली नहीं करवायेगा, ना ही कभी किराया बढ़ा सकेगा तथा आजीवन वादीगण के किराये की रहेगी, जिसका किरायानामा भी इसी आशय से तय करके लिखा गया था। पतिवादी संख्या 1 को मासिक किराया वसूल करने का अधिकार होगा, दुकान पर आजीवन किसी प्रकार दुकान मालिक का हक व अधिकार नहीं होगा। विवादित दुकान हमेशा के लिए वादीगण के किराये की रहेगी। प्रतिवादी नंबर 1 को किरायेदारी अधिकार समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.1.2001 के अनुसार जो दुकाने दिनांक 22.4.1997 के निर्णय के अनुसार कुर्क हुई थी, उसके लिए प्रस्तुत दुकानों जिनको कुर्की मुक्त किया है, इसके साथ ही एक माह में नियमन हेतु आवेदन जमा करवाने का आदेश प्रतिवादी नंबर 1 को दिया है तथाकथित अपील अधिकारी के निर्णय की आड़ में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने षड़यंत्र रचकर के बिना कानूनी प्रकिया अपनाये आजीवन किराये की शर्त के विरूद्ध लाठी के जोर से किराया नहीं लेकर वादीगण को वादग्रस्त दुकान से बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 जोरावर सिंह ने जवाब पेश किया कि दिनांक 01.1.89 को वादी नंबर 1 ने प्रतिवादी संख्या–1 से 50 हजार रूपये प्रिमियर पगड़ी देकर कोई दुकान बस स्टेण्ड गुढागौडजी के पास ग्राम टोडी की तर में किराये पर दी हो। ब[illegible] और प्रतिवादी नंबर 1 से उक्त दुकान 300/–रूपये माहवारी [illegible] इस बात से भी इंकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर [illegible]

है, कि वादी के हक में विवादित दुकान को आजीवन काम में लेने हेतु कोई शर्त रखी हो। आगे कथन किया कि विवादित दुकान की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही चली जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील अधिकारी सीकर केन्प,झुंझुनू के यहां न्यायालय में अपील संख्या 91/97 व 99/97 की गई । अपील निर्णय दिनांक 28.9.2001 के तहत तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को यह निर्देश दिये गये कि वह ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम 1992 के अंतर्गत अतिक्रमण की गई भूमि में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी के सम्मुख एक माह में आवेदन प्रस्तुत करें जो प्रतिवादी नंबर 1 ने पेश कर दिया और वर्तमान में लम्बित है। एम.जे.एम उदयपुरवाटी ने दिनांक 27.8.2013 को उनका दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी नंबर 1 कमल कुमार व उसके पिता ने जिला जज झुंझुनू के यहां अपील की थी जो भी दिनांक 04.5. 2018 को खारिज हो गई । इन तमाम तथ्यों की पुष्टि में जिला जज साहब का निर्णय दिनांक 4.5.2018 की फोटो कापी पेश है। उक्त जोरावर सिंह की तमाम सम्पति उसके उतराधिकारियों से प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर ली। जिसमें अप्रार्थी नंबर 1 को आवंटन किया वह दुकान भी उसी का भाग है। तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश संख्या राजस्व 2020/842 दिनांक 4.5.2020 विधि–कानून–नियमों व परीपत्र एफ 9 (6) राज/ 2000/ दिनांक 10.1.2013 के ही विरूद्ध है । अप्रार्थी कमल कुमार ने प्रार्थना पत्र में भी गलत तथ्य लिखे हैं, वह गुढा गोड़जी का मूल निवासी नहीं है, डूण्डलोद का मूल निवासी है और उक्त तथ्य प्रार्थना पत्र में लिखना कि पक्का निर्माण कर रहवास कर रहा है, एकदम झूठा है। इस निर्माण में व्यापार होता आया है चारों तरफ दुकाने हैं रवास की जगह नहीं है। रहवास करना भी अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा गलत दर्ज किया गया है। रहवास की जगह बताकर व्यापारिक प्रयोजन की जगह जो निर्माण जोरावर सिंह का किया हुआ था और अप्रार्थी नंबर 1 व उसके पिता सज्जन कुमार के किराये पर था [illegible] तथ्यों को छुपाकर गलत आवंटन करवाया है। दिनांक 04.5.2018 [illegible] अप्रार्थी किरायेदार है

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

उसे ताकत के बल से खाली नहीं करवाये का केश चला है। अ0 धरा 91 की कार्यवाही जोरावर सिंह के विरूद्ध चली की उसको एक माह में आवंटन कमेटी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र देने को कहा गया । उक्त तमाम तथ्य अप्रार्थी की अपील के तथ्यों में दर्ज है। इस प्रकार गलत तथ्यों के प्रार्थना–पत्र पर उक्त कार्यवाही की गई है जो खारिज होने लायक है। जब प्रश्नगत आवंटित भूमि या प्रार्थना पत्र कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम 1992 के तहत राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय अनुसार नियमन हेतु कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां लम्बित है और उसके अधिकार क्षेत्र में है तो तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त निर्मित दुकान का आवंटन करना बिना क्षेत्राधिकार के विरूद्ध है। अप्रार्थी नंबर 1 तो जोरावर सिंह का किरायेदर रहा है,उसके बाद क्रेता का अप्रार्थी का किरायेदार हो गया वह टिनेन्ट है, अतिक्रमी नहीं है। अतिक्रमी तो पहले जोरावर सिंह उसके उत्तराधिकारी थे, उन से क्रय करने के बाद प्रार्थी क्रेता हो गया उक्त आवंटित जगह खाली भूमि नहीं है। प्रार्थीगण व उसके पूर्व के मालिक की बनायी हुई दुकान है जिसमें अप्रार्थी नंबर 1 व उसके पिता बतौर किरायेदार रहे हैं, ये वाणिज्य उदेश्य की जगह है, रिहायसी जगह नहीं है। तहसीलदार अप्रार्थी नंबर 2 ने बिना जांच किये बिना मौका देखे बाला बाला गलत तरीके से उक्त आवंटन का आदेश अप्रार्थी नंबर 1 के नाम जारी किया है। अप्रार्थी नंबर 1 ने भी उक्त तमाम तथ्य छुपाये है। मु0नं 51/2002 व अपील में तहसीलदार उदयपुरवाटी भी पक्षकार है। प्रश्नगत आवंटन (कब्जे के परिवर्तन को नियमन करने) का नहीं है। किरायेदार को भूमि परिवर्तन करके देने का है। प्रश्नगत जगह खाली भूमि नहीं है, व्यापार करने की निर्मित दुकान है, आवासीय नहीं है, तहसीलदार के आदेश दिनांक 04.5.2020 परिपत्र एफ–9 (6) राज. 61/2000/1 दिनांक 10.1.2013 के ही विपरित व विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश संख्या राजस्व /20/ 842 दिनांक 4.5.2020 जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 5.5.2020 को अप्रार्थी नंबर 1 के नाम हुआ है, को निरस्त किया जाकर सनद पट्टा क्रमांक राजस्व/2020/842 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः— अप्रार्थी नंबर—1 कमल कुमार व उसके पिता सज्जन कुमार ने मु0 नं0 51/2002 एम. जे.एम. उदयपुरवाटी में किया था कि सज्जन कुमार ने प्रतिवादी संख्या 1 जोरावर सिंह से दिनांक 1.1.1989 को वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित चतुर्थ सीमा की दुकान जो ग्राम टोडी में स्थित है, जो 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से आजीवन किराये पर थी तथा दुकान से प्रिमियम पचास हजार रूपये प्रतिवादी संख्या 1 को अदा किये गये थे। वादीगण के अनुसार उक्त दुकान 300/—रूपये किराये पर वादी संख्या 1 ने इस शर्त पर ली थी कि प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी विवादित दुकान को खाली नहीं करवायेगा, ना ही कभी किराया बढ़ा सकेगा तथा आजीवन वादीगण के किराये की रहेगी, जिसका किरायानामा भी इसी आशय से तय करके लिखा गया था। पतिवादी संख्या 1 को मासिक किराया वसूल करने का अधिकार होगा, दुकान पर आजीवन किसी प्रकार दुकान मालिक का हक व अधिकार नहीं होगा। विवादित दुकान हमेशा के लिए वादीगण के किराये की रहेगी। प्रतिवादी नंबर 1 को किरायेदारी अधिकार समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 28.1.2001 के अनुसार जो दुकाने दिनांक 22.4. 1997 के निर्णय के अनुसार कुर्क हुई थी, उसके लिए प्रस्तुत दुकानों जिनको कुर्की मुक्त किया है, इसके साथ ही एक माह में नियमन हेतु आवेदन जमा करवाने का आदेश प्रतिवादी नंबर 1 को दिया है तथाकथित अपील अधिकारी के निर्णय की आड़ में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने षड़यंत्र रचकर के बिना कानूनी प्रकिया अपनाये आजीवन किराये की शर्त के विरूद्ध लाठी के जोर से किराया नहीं लेकर वादीगण को विवादग्रस्त दुकान से बेदखल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 जोरावर सिंह ने जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पेश किया कि दिनांक 01.1.89 को वादी नंबर 1 ने प्रतिवादी संख्या–1 से 50 हजार रूपये प्रिमियर पगड़ी देकर कोई दुकान बस स्टेण्ड गुढागौडजी के पास ग्राम टोडी की तर में किराये पर दी हो। बल्कि वादी नंबर 1 ने अस्थाई तौर प्रतिवादी नंबर 1 से उक्त दुकान 300/–रूपये माहवारी किराये पर ली थी। प्रतिवादी ने इस बात से भी इंकार किया है, कि वादी के हक में विवादित दुकान को आजीवन काम में लेने हेतु कोई शर्त रखी हो। आगे कथन किया कि विवादित दुकान की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही चली जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील अधिकारी सीकर केन्प,झुंझुनू के यहां न्यायालय में अपील संख्या 91/97 व 99/97 की गई । अपील निर्णय दिनांक 28.9.2001 के तहत तहसीलदार उदयपुरवाटी के द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को यह निर्देश दिये गये कि वह ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम 1992 के अंतर्गत अतिक्रमण की गई भूमि में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी के सम्मुख एक माह में आवेदन प्रस्तुत करें जो प्रतिवादी नंबर 1 ने पेश कर दिया और वर्तमान में लम्बित है। एम.जे.एम उदयपुरवाटी ने दिनांक 27.8.2013 को उनका दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी नंबर 1 कमल कुमार व उसके पिता ने जिला जज झुंझुनू के यहां अपील की थी जो भी दिनांक 4.5. 2018 को खारिज हो गई । इन तमाम तथ्यों की पुष्टि में जिला जज साहब का निर्णय दिनांक 4.5.2018 की फोटो कापी पेश है। उक्त जोरावर सिंह की तमाम सम्पति उसके उतराधिकारियों से प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर ली। जिसमें अप्रार्थी नंबर 1 को आवंटन किया वह दुकान भी उसी का भाग है। तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश संख्या राजस्व 2020/842 दिनांक 4.5.2020 विधि–कानून–नियमों व परीपत्र एफ 9 (6) राज/ 2000/ दिनांक 10.1.2013 के ही विरूद्ध है । अप्रार्थी कमल कुमार ने प्रार्थना पत्र में भी गलत तथ्य लिखे हैं, वह गुढा गोड़जी का मूल निवासी नहीं है, डूण्डलोद का मूल निवासी है और उक्त तथ्य प्रार्थना पत्र में लिखना कि पक्का निर्माण कर रहवास करना है, एकदम झूठा है। इस निर्माण में व्यापार होता आया है चारों तरफ दुकानें हैं रहवास नहीं है। रहवास करना भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा गलत दर्ज किया गया है। रहवास की जगह बताकर व्यापारिक प्रयोजन की जगह जो निर्माण जोरावर सिंह का किया हुआ था और अप्रार्थी नंबर 1 व उसके पिता सज्जन कुमार के किराये पर था । तमाम तथ्यों को छुपाकर गलत आवंटन करवाया है। दिनांक 4.5.2018 तक तो जिला जजी में इसी जगह का अप्रार्थी किरायेदार है उसे ताकत के बल से खाली नहीं करवाये का केश चला है। अ0 धरा 91 की कार्यवाही जोरावर सिंह के विरूद्ध चली की उसको एक माह में आवंटन कमेटी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र देने को कहा गया । उक्त तमाम तथ्य अप्रार्थी की अपील के तथ्यों में दर्ज है। इस प्रकार गलत तथ्यों के प्रार्थना–पत्र पर उक्त कार्यवाही की गई है जो खारिज होने लायक है। जब प्रश्नगत आवंटित भूमि या प्रार्थना पत्र कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम 1992 के तहत राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय अनुसार नियमन हेतु कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां लम्बित है और उसके अधिकार क्षेत्र में है तो तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उक्त निर्मित दुकान का आवंटन करना बिना क्षेत्राधिकार के विरूद्ध है। अप्रार्थी नंबर 1 तो जोरावर सिंह का किरायेदर रहा है,उसके बाद क्रेता का अप्रार्थी का किरायेदार हो गया वह टिनेन्ट है, अतिक्रमी नहीं है। अतिक्रमी तो पहले जोरावर सिंह उसके उत्तराधिकारी थे, उन से क्रय करने के बाद प्रार्थी क्रेता हो गया उक्त आवंटित जगह खाली भूमि नहीं है। प्रार्थीगण व उसके पूर्व के मालिक की बनायी हुई दुकान है जिसमें अप्रार्थी नंबर 1 व उसके पिता बतौर किरायेदार रहे हैं, ये वाणिज्य उदेश्य की जगह है, रिहायसी जगह नहीं है। तहसीलदार अप्रार्थी नंबर 2 ने बिना जांच किये बिना मौका देखे बाला बाला गलत तरीके से उक्त आवंटन का आदेश अप्रार्थी नंबर 1 के नाम जारी किया है। अप्रार्थी नंबर 1 ने भी उक्त तमाम तथ्य छुपाये है। मु0नं 51/2002 व अपील में तहसीलदार उदयपुरवाटी भी पक्षकार है। प्रश्नगत आवंटन (कब्जे के परिवर्तन को नियमन करने) का नहीं है। किरायेदार को भूमि परिवर्तन करके देने का है। प्रश्नगत जगह खाली भूमि नहीं है, व्यापार करने की निर्मित दुकान है आवंटन योग्य नहीं है, तहसीलदार के आदेश दिनांक 4.5.2020 परिपत्र एफ–9 (6) राज. 6/2000 दिनांक 10.1.2013 के ही विपरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

व विधि विरूद्ध है। जहांतक धारा 31 का सवाल है व काश्त की भूमि के अलावा और राजस्व अधि0 व विधि के अलावा जो सिविल वाद होते हैं उनका टांसफर डीडी किसी को धोखा देकर मुगालते में रखकर अचल सम्पति का दस्तावेजात रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो उसे सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाती है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन एबिनिसियोवोईड दस्तावेज का है, उसको कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती है। उक्त पट्टा राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी किया गया है जिसका अपील का प्रावधान है। इस अपील के प्रावधान व अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। उक्त चुनौतीधीन पट्टा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश संख्या राजस्व /20/ 842 दिनांक 4.5.2020 जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 05.05.2020 को अप्रार्थी नंबर 1 के नाम हुआ है, को निरस्त किया जाकर सनद पट्टा क्रमांक राजस्व/2020/842 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अप्रार्थी कमलकुमार पुत्र सज्जनकुमार जाति महाजन निवासी गुढ़ागौड़जी के पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की कार्यवाही की गई है। विवादित भूमि राजकीय भूमि रही है जिसका नियमन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रार्थी ने जोरवरसिंह की सम्पति क्रय की है। विवादित स्थल की भूमि राजकीय भूमि रहीं है, ना कि जोरावर सिंह की। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी कमल कुमार ने प्राथमिक आपति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – तहसीलदार उदयपुरवाटी ने दिनांक 5.5.2020 को प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि का पंजीयन उपपंजीयक गुढ़ा[illegible] के समक्ष तस्दीक हुआ उसे निरस्त करवाने के लिए उपरोक्त उनकी [illegible] है। जिस दस्तावेज का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

पंजीयन हो चुका है। पंजीयन कन्वेन्स डीड को केवल सिविल न्यायालय ही धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत केन्सिल कर सकता है। धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम लिखतों का रद्यकरण धारा 31 कब रद्यकरण का आदेश दिया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध कोई लिखत शून्य या शून्यकरणीय हो और जिसको यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्यमान छोड़ दी गई, तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है, उसको शून्य या शून्यकरणीय न्याय निर्णित कर सकेगा और स्वविवेक में उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा। इस संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने गोपाल बनाम स्टेट राजस्थान जरिये तहसीलदार रिट पीटिशन 9438/18 उसके साथ रिट पीटिशन 4839, 9442, 9450, 9459, 5567, 9569, 9690, 9692, 9679, 11328, 11332, 11371/2018 जिसका निर्णय दिनांक 2/2/2021 को किया गया है। उक्त याचिका में यह निर्णय पारित किया गया है कि रजिस्टर्ड पट्टा जिला कलेक्टर या अन्य अधिकारी निरस्त नहीं कर सकते। रजिस्ट्री पट्टा सिविल न्यायालय ही सैटअसाईट कर सकता है। माननीय न्यायालय ने याचिका में यह निर्धारित किया है कि राज्य या कोई भी पक्षकार जिसके अधिकार प्रभावित होते हो वो सिविल न्यायालय में अपने अधिकार कानून अनुसार तय करवा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रामचन्द्र बनाम जिला कलेक्टर के रिकार्डेड निर्णय का भी हवाला दिया है। एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के सुपरविजन पॉवर, रेवन्यु बोर्ड को हैं। जिला न्यायाधीश के कोर्ट की अपील राज0उच्च न्यायालय में होती है। आवेदक प्रेमप्रकाश ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रार्थना पत्र न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 2021 (1) डी.एन.जे. राजस्थान पृष्ठ संख्या 186 प्रस्तुत किया गया ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया ए[illegible] अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि उन्होंने जोरावर सिंह की तमाम सम्पति उसके उत्तराधिकारियों से जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर ली जिसमें अप्रार्थी नंबर 1 को आवंटित की गई दुकान भी शामिल है। विवादित भूमि आवंटन से पूर्व राजकीय भूमि रही है न कि जोरावर सिंह की सम्पति। राजकीय भूमि पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी नंबर 1 कमल कुमार पुत्र सज्जन कुमार जाति महाजन निवासी गुढागौड़जी को पुराने कब्जे के आधार पर तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा आवंटित की जाकर पट्टा जारी किया गया है। विवादित भूमि के संबंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश,झुंझुनू द्वारा दीवानी नियमित अपील संख्या 47/17 (35/13) (सीआईएस–10/2015) निर्णय दिनांक 4 मई, 2018 में पारित निर्णय में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल न्यायाधीश क0ख0 उदयपुरवाटी द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 51/2002 में पारित निर्णय दिनांक 27 अगस्त,2013 में प्रतिवादी संख्या –1 जोरावर सिंह एवं प्रतिवादी संख्या–2 तहसीलदार उदयपुरवाटी को विवादित दुकान जिसे वाद पत्र में वर्णित किया गया था, को शीघ्र अपने कब्जे में लेकर सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को दो माह में ध्वस्त कर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु दिये गये आदेश को अपास्त किया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय जिला न्यायाधीश, झुंझुनू द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 की बेदखली के आदेश को अपास्त किया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अप्रार्थी कमल कुमार पुत्र सज्जन कुमार महाजन को पुराने कब्जे को राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग के परिपत्र एफ 9 (6)राज–61/2000/1 दिनांक 10 जनवरी 2013 के द्वारा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गै0 मु0 राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.1.2005 से पूर्व के हों उनको विनियमित करने के आदेशानुसार पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया जाकर पट्टा जारी किया गया है भूमि की किस्म किसी प्रकार से नियमन हेतु प्रतिबंधित भूमि नहीं रही है। प्रश्नगत पट्टा एक रजिस्टर्ड पट्टा है जिसको प्रार्थी के मौखिक कथनों पर विश्वास किया [illegible] खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश [illegible] /2020/ 842 दिनांक 4.5.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested

2020 के द्वारा अप्रार्थी कमल कुमार महाजन निवासी गुढागौड़जी को ग्राम टोडी में खसरा नंबर 711 रकबा 0.2221 हैक्टर में से 18.58 वर्गमीटर भूमि के नियमन/आवंटन पुराने कब्जे के आधार पर किया गया है । तहसीलदार उदयपुरवाटी के आवंटन आदेश का निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में किस कानून के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, स्पष्ट नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा जोरावर सिंह के वारिसाान से जो सम्पति क्रय किया जाना बताया है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में खसरा नंबर 711 ग्राम टोडी का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्राथना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रेम प्रकाश पोदार द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 09.05.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.5.2022
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 17:52:34 IST
Reason: SelfAttested